प्ररूप-3

[नियम-10 (1) (iii)]

पर्यवेक्षण आदेश

जब बालक को पुलिस स्टेशन की तारीख : 20......... की प्र.सू.रि. /डी.डी. संख्या....................... की जांच के लबंन के दौरान उचित व्यक्ति/उचित संस्था/परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखा गया है ।

जबकि _________________ (बालक का नाम) पर अपराध करने का अभिकथन किया गया है और उक्त________________द्वारा बांड के निष्पादन पर__________________ (नाम)__________________ (पता) की देखरेख के अंतर्गत रखा गया है और बोर्ड संतुष्ट है कि उक्त बाल के साथ व्यवहार करने संबंधी आदेश पारित करते हुए पर्यवेक्षक के अधीन रखने के लिए कार्रवाई करना उचित है ।

अत: यह आदेश दिया जाता है कि उक्त बालक को______________के अंतर्गत पर्यवेक्षण के लिए_____________निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ________की अवधि के लिए रखा जाए :-

1. कि बालक________की अवधि के लिए________ पर रहेगा तथा निदेशानुसार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा ।
2. कि बालक को बोर्ड की अनुमति के बगैर ________के जिला क्षेत्र से बाहर नहीं जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
3. कि बालक को ऐसे व्यक्तियों के साथ सहयोजित नहीं होने दिया जाएगा जो नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करते हों ।
4. कि व्यक्ति जिसकी देखरेख में बालक को रखा गया है, वह बालक की उपयुक्त देखरेख, शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा ।
5. कि उस व्यक्ति द्वारा निवारक उपाय किए जाएंगे जिसकी देखरेख में बालक को यह देखने के लिए रखा गया है कि बालक ऐसा कोई अपराध नहीं करता है जो भारत में किसी भी कानून के अधीन दंडनीय हो ।
6. कि बालक की स्वापक अथवा मन:प्रभावी पदार्थ अथवा अन्य मादक-द्रव्यों को लेने से रोकथाम की जाएगी । जिस व्यक्ति के अधीन बालक को पर्यवेक्षण में रखा जाएगा, वह व्यक्ति ऐसे कृत्य के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा ।

तारीख ....20 ________

(हस्ताक्षर)

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड

टिप्पण : अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों, को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अंत:स्थापित किया जा सकेगा।